

FORM NO. 111

फर्द अहकाम (नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस  
उनवान सोहनी वगै० बनाम श्रीमति कंवरी वगै०  
किस्म मुकदमा प्रा० पत्र बाजदायरी मु.न 11 / 2025  
हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख अह  
काम जो इस हुक्म की  
तामील में जारी हुये

हुक्म

2025

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री नवीन चौधरी हाजिर।  
प्रतिवादी सं०-1 ता 6 की ओर से वकील श्री राजेश थेबड़ हाजिर।  
प्रार्थना पत्र बाजदायरी का वकील अप्रार्थी अप्रार्थीगण द्वारा जबाब  
नहीं दिया जाकर सीधी ही बहस हेतु निवेदन किया गया। बहस  
उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रकरण के  
मूल वाद मु०स० 245/2023 उनवानी सोहनी देवी वगै० बनाम  
श्रीमति कंवरीदेवी देवी वगै० में दिनांक 28.11.2019 को जबाब  
प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया था। बावजूद अन्तिम  
अवसर जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थीगण अपने  
अधिवक्ता के भरोसे थे प्रार्थीगण अधिवक्ता आश्वासन देते रहे कि  
आपको हर तारीख पेशी पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है।  
आवश्यकता होने पर बुला लिया जावेगा। प्रार्थीगण अधिवक्ता  
अपनी पैरवी में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं होने के कारण  
न्यायालय हाजा ने दिनांक 18.06.2025 को वाद मु०स० 245/2023  
उनवानी सोहनी देवी वगै० बनाम श्रीमति कंवरीदेवी देवी वगै० को  
अदम पैरवी अदम हाजरी में खारीज फरमा दिया। जिससे  
प्रार्थीगण/ वादीगण को सख्त हकतलफी है। मामला प्रार्थीगण की  
अचल सम्पत्ति का है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र बाजदायरी  
स्वीकार कर किया जावे व वाद मु०स० 245/2023 उनवानी सोहनी  
देवी वगै० बनाम श्रीमति कंवरीदेवी देवी वगै० को पुनः नम्बर पर  
लिया जाने का आदेश फरमाया जावे।

जबाब में वकील अप्रार्थीगण द्वारा घोर आपत्ती प्रकट करते हुए  
प्रार्थना पत्र को खारीज फरमानें का निवेदन किया।

हमने बहस उभय पक्षकारान अधिवक्तागण सुनी व बहस पर  
मनन किया। मामला अचल सम्पत्ति का होकर आवश्यक प्रकृति  
का है अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार  
किया जाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा वाद मु०स०  
243/2023 उनवानी सोहनी देवी वगै० बनाम श्रीमति कंवरीदेवी  
वगै० 243/2023 को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश  
दिया जाता है। दावा पुनः दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रा० पत्र  
बाजदायरी फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल वादपत्र  
के साथ हमफिता हों।



उपखण्ड अधिकारी  
रींगस (सीकर)

